



प्रेस विज्ञप्ति

15.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 13.02.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मुंबई में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जो **मेसर्स रियाल्टो एक्विजिजम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पुष्पक बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, चंद्रकांत पटेल और अन्य** के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है, जो बैंक धोखाधड़ी मामले में शामिल थे। तलाशी अभियान के दौरान अचल और चल संपत्तियों यानी बैंक फंड के विवरण के साथ-साथ कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त/फ्रीज कर दिया गया।

ईडी ने सीबीआई, मुंबई द्वारा मेसर्स रियाल्टो एक्विजिजम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया को 142.72 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स रियाल्टो एक्विजिजम प्राइवेट लिमिटेड पुष्पक समूह की एक संबंधित इकाई है और वित्तीय हेरफेर के लिए बिना किसी वास्तविक व्यापार/व्यवसाय के पुष्पक समूह की विभिन्न संबंधित संस्थाओं के साथ परिपत्र लेनदेन में शामिल थी। साक्ष्यों से पता चलता है कि मेसर्स रियाल्टो एक्विजिजम प्राइवेट लिमिटेड और पुष्पक समूह की अन्य संस्थाओं के बीच 500 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन हुए हैं। तलाशी और जांच के दौरान दुबई स्थित विभिन्न डमी संस्थाओं के साथ लेनदेन और पुष्पक समूह की विदेशी संस्था द्वारा यूएसए में खदान की खरीद का भी पता चला। इसके अलावा, जांच में पुष्पक समूह से संबंधित संस्थाओं में नोटबंदी के दौरान 84 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जमा होने का भी पता चला।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।